रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 66] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 23, 1977/वैशाख 3, 1899

No. 66] **NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 23, 1977/VAISAKHA 3, 1899**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

RESOLUTION

New Delhi, the 23rd April 1977

No. V 17020/25/77-ME(PG).—There has been a demand from the public as also from the members of the Lok Sabha to inquire into the nature and adequacy of the medical treatment meted out to Shri Jayaprakash Narayan while he was under detention after the declaration of Emergency on the 25th June, 1975. Pursuant to this, the Government of India have decided to constitute a one-man Commission consisting of Dr Philipose Koshy. The Commission shall inquire,—

(a) generally, into the nature and adequacy of medical treatment meted out to Shri Jayaprakash Narayan while he was under detention,

(b) in particular, into the nature and adequacy of medical treatment given to Shri Jayaprakash Narayan by the medical practitioners attached to the jails, Government hospitals and institutions where he was detained,

(c) into the circumstances leading to Shri Jayaprakash Narayan's renel dysfunction which had set in during the period of his detention and to determine to the extent possible when such malfunction was first detected and the nature and adequacy of steps taken to arrest and reverse the malfunction.

2 The Commission shall submit its report to the Central Government as soon as possible but not later than the 30th September, 1977

3 The headquarters of the Commission will be at Delhi However, the Commission may held its inquiries at such other places as it deems fit

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

C. R KRISHNAMURTHI, Jt Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1977

संख्या वी० 17020 25 77–एम० ई० (पी० जी०).—जनता के साथ-साथ लोक सभा के सदस्यों ने भी मांग की है कि इस बात की जांच की जाए कि 25 जून, 1975 को की गई आपात स्थिति की घोषणा के बाद श्री जयप्रकाश नारायण जी का हिरासत के दौरान जो उपचार किया गया क्या वह सही और पर्याप्त था। इसके अनुसरण में भारत सरकार ने डा० फिलिपोज कोशी की अध्यक्षता में एक-सदस्यीय आयोग गठित करने का निर्णय किया है। यह आयोग निम्नलिखित बातों की जांच करेगा :

(क) सामान्यतः श्री जयप्रकाश नारायण का हिरासत के दौरान किए गए उपचार के सही और पर्याप्त होने की जांच करना,

(ख) विशेषकर, जेलों, सरकारी अस्पतालों और उन संस्थाओं से सम्बद्ध डाक्टरों द्वारा श्री जयप्रकाश नारायण के उपचार के सही और पर्याप्त होने की जांच करना जहां उन्हें हिरासत में रखा गया,

(ग) उन परिस्थितियों की जांच करना जिनके फलस्वरूप श्री जयप्रकाश नारायण के गुर्दे हिरासत की अवधि के दौरान दुष्क्रिय हो गए और यथासम्भव इस बात का पता लगाना कि ऐसी खराबी सर्वप्रथम कब देखी गई और इस खराबी का काबू पाने और इसे ठीक करने के लिए जो उपाय किए गए क्या वे सही और पर्याप्त थे।

2. यह आयोग अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को यथाशीघ्र और देर से देर 30 सितम्बर, 1977 तक प्रस्तुत कर देगा।

3. इस आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। तथापि, यह आयोग उन अन्य स्थानों पर भी जांच कर सकेगा जिन्हें यह उचित समझेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

का० रा० कृष्णमूर्ति, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1977